छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम

[संविधान के अनुच्छेद 208 के खण्ड (1) के अधीन]

अध्याय 1-प्रारंभिक.

1. ये नियम "छत्तीसगढ़ विधान सभा नियमावली" कहलायेंगे. **संक्षिप्त नाम.**

2. इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :- **परिभाषाएं.**

क. "गैर सरकारी सदस्य" का तात्पर्य मंत्री या संसदीय सचिव को छोड़कर किसी अन्य सदस्य से है;

ख. नियम का तात्पर्य विधान सभा के नियम से है;

ग. "पटल" का तात्पर्य सभा के पटल से है;

घ. "पत्रक" का तात्पर्य सभा के समाचार पत्र से है जिसमें -

(क) सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख;

(ख) सभा के कार्य के बारे में या उससे संबंधित किसी विषय पर या अन्य विषय पर, जो अध्यक्ष की राय में उसमें सम्मिलित किया जा सके, जानकारी, और;

(ग) संसदीय समितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट हो;

ड. "प्रस्ताव" का तात्पर्य किसी प्रस्थापना से है, जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए और उसमें प्रस्ताव का संशोधन भी सम्मिलित है;

च. "भारसाधक सदस्य" से तात्पर्य उस सदस्य से है, जो विधेयक या अन्य कार्य का प्रवर्तन करे और किसी सरकारी विधेयक या अन्य कार्य के बारे में किसी भी मंत्री से है;

छ. ``मंत्री`` का तात्पर्य मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव से है;

ज. "राजपत्र" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राजपत्र से है;

झ. "वित्त मंत्री" का तात्पर्य वित्त भारसाधक मंत्री से है, या किसी ऐसे अन्य मंत्री से है जिसे वह इन नियमों के अधीन उसे सौंपा हुआ कृत्य प्रत्यायुक्त करे;

ञ. "विधान सभा" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा से है;

ट. "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

ठ. "सचिव" का तात्पर्य विधान सभा के सचिव से है, उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा अधिकारी है जो उस समय सचिव के कर्तव्यों का पालन कर रहा है;

ड. "सदस्य" का तात्पर्य विधान सभा के सदस्य से है;

ढ. "सभा" का तात्पर्य विधान सभा से है;

ण. "सभा कक्ष" (लाबी) का तात्पर्य उन बन्द वीथियों से है, जो सभा-वेश्म से बिल्कुल संलग्न हैं;

त. "सदन के नेता" का तात्पर्य मुख्य मंत्री से है और उसके अन्तर्गत है कोई भी मंत्री जिसे मुख्य मंत्री इन नियमों के अधीन सभा नेता को सौंपे हुए कृत्य प्रत्यायुक्त करे;

थ. "सभा समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जिसे सभा नियुक्त या निर्वाचित करे या अध्यक्ष नाम निर्देशित करे और जो अध्यक्ष के निर्देश के अन्तर्गत काम करे और अपना प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को प्रस्तुत करे;

द. "सभा के परिसर" का तात्पर्य सभा-वेश्म, सभा कक्षों, दीर्घाओं और उनको मिलाकर ऐसे अन्य स्थानों से है जिनका अध्यक्ष समय-समय पर उल्लेख करे;

ध. "सरकारी उपक्रम" से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी और उसके अन्तर्गत आता है कोई निगम या कोई अन्य कानूनी निकाय चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो प्रत्येक दशा में, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो.

न. "विधान सभा सचिवालय" का अर्थ रायपुर स्थित विधान सभा सचिवालय से है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त अध्यक्ष के प्राधिकार के अन्तर्गत स्थापित रायपुर से बाहर कोई कैम्प आफिस आता है.

3. संविधान और इस नियमावली में प्रयुक्त शब्द तथा पदावली के अर्थ जब तक प्रसंग अपेक्षित नहीं हैं वही होंगे जो संविधान में दिये गए हैं.

4. यदि इन नियमों के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा.